

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

1. घनश्याम पुत्र रायसिंह जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी ।
-वादी

बनाम्

1. रायसिंह पुत्र खेताराम } जाति जाट निवासीयान केहरवाला तहसील टिब्बी ।
2. रूकमादेवी पत्नी रायसिंह }
3. अनसुईया पुत्री रायसिंह पत्नी सतपाल जाति जाट निवासी भादूआं वाला तहसील
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष
वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन
जामिन मुदई श्री महावीर वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम
दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक नं0 9 आरडब्ल्यूडी में अंकित प्रतिवादी
सं0 1 के नाम से दर्ज आराजी 4.182 है0 में से वादी 2.091 है0 आराजी का वादी
को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नं0 9 आरडब्ल्यूडी के खाता सं0
में से प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा कम किया जाकर शेष हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 का
बदस्तुर रखे जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन
किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात्
राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद
वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक १०.०१.१८.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....१०-११-१८.....को जारी
किया गया।



(उम्मेद सिंह रतनू)
उम्मेद सिंह रतनू
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी